दस रुपये TEN RUPEES INDIA भारत

(363)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निग /13846-I-15

प्र0क0 R ....I/15–16 निगरानी

लक्ष्मीनारायण पुत्र पुन्ना जाति जाटव
निवासी ग्राम जावरोल तह सबलगढ
जिला मुरैना म0प्र0

..........................आवेदक

दिनांक 27-11-15 को श्री ... शर्मा ... द्वारा प्रस्तुत।
27-11-15
S.O.

बनाम

1–पातीराम पुत्र पुन्ना जाति जाटव

2–रामस्वरूप पुत्र पुन्ना जाति जाटव

3–रूमाली पुत्री पुन्ना जाति जाटव

निवासी ग्राम जावरोल तह सबलगढ
जिला मुरैना म0प्र0

.......................अनावेदक

निगरानी आदेश विरूद्ध आदेश दिनांक 21/10/2015
न्यायालय श्रीमान ~~तहसीलदार महोदय~~ अनुविभागीय अधिकारी महो0 सबलगढ
जिला मुरैना के प्र0क0 12/14–15 अपील/निगरानी
अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम जावरोल तह0 सबलगढ जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 490 रकवा 0.49, सर्वे क0 604 रकवा 0.16 ,सर्वे क0 713 रकवा 0.36 ,सर्वे क0 756 रकवा 0.22 कुल किता 4 रकवा 1.24 के जुगनू पुत्र हरिभजन आधिपत्यधारी थे।

2– यह कि आवेदक द्वारा विवादित भूमि पर अपना नाम नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र दत्तक पुत्र होने से वारिसान के आधार पर प्रस्तुत किया जो तहसील सबलगढ में प्र0क0 11/2004–2005×अ/6 पर पंजीबद्व किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर पारित आदेश दिनांक 31/03/2005 द्वारा विवादित भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया जाकर पटवारी कागजात में अमल किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–3846–एक/2015 जिला–मुरैना

लक्ष्मीनारायण विरूद्ध पातीराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़, जिला–मुरैना के प्रकरण क्रमांक 12/2014–15/अपील/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 11-3-19	